



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

MS
26/7/88

सं० 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 1988/आषाढ 24, 1910
No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 1988/ASADHA 24, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

जल-मूल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन स्कंध)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1988

अधिसूचना

सा. का. नि. 789(अ).—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 के 15) धारा 35 के उप-
धारा (1) से धारा 34 से प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए भारत सरकार यह निदेश दे स्ते हैं कि यह
अधिसूचना राजपत्रित गजट में प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के उपरांत भारत सरकार के परिवहन

(ग) मधु स. "ख" के लिए बंदरगाह के किसी प्रदेश में प्रवेशित जलयान और इस में संबंधित प्रविष्टों के संदर्भ में, निम्न लिखित मर और प्रविष्ट स्थापनापत्र किया जाएगा, नामतः:

1	2	3
ख. जलयान बंदरगाह में प्रवेश करने के सम्बन्ध में		
1. विदेशी जलयान	6.30	वेदों को हर 30 दिनों में एक बार भुगतान करना होगा
2. तटीय जलयान		
(क) स्टीमरस	6.30	देय 30 दिनों में एक बार भुगतान करना होगा।
(ख) मीचालन जलयान	6.30	देय 30 दिनों में एक बार भुगतान करना होगा।

(ख) टिप्पणी-सू. 4 के लिए निम्नांकित मसौदा स्थापनापत्र किया जाएगा, नामतः:

टिप्पणी-4 बंदरगाह में अधिकतम 1500 टनों की मारों को उतारने या चढ़ाने के लिए आनेवाले जलयानों के लिए पोर्ट देय प्रभारों के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित वरों के बजाय हर टन के लिए रु. 4.20 वसूल करना चाहिए।

[फा. सं. पी. आर. 14012/6/88-पी जी]

योगेंद्र नारायण, संयुक्त सचिव

नोट: दि. 20 दिसंबर 1978 के जी. एस. आर. 933 (ई) को दि. 6-11-1977 के जी. एस. आर. 695(ई), 20 मई 1980 के जी. एस. आर. 272 (ई) और दि. 11-6-1980 के जी. एस. आर. 31 (ई) और दि. 29-6-1982 के 477 (ई) और दि. 28-8-84 के जी. एस. आर. 629(ई) के अनुसार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 6th July, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 789 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35, read with section 34, of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the following amendment shall be made in the Notification

ur: ace

1. (a) No. G. S. R. 629 (E) dated 28th August, 1984 relating to the levy of Port dues at the Port of Visakhapatnam, namely.

In the Schedule of Port dues to the said notification :

(b) for item 'B' Vessels entering the rest of the Harbour and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted namely :

1	2	3
B. Vessels entering the rest of the Harbour		
1. Foreign Vessel :	6.30	The due is payable once in 30 days.
2. Coasting vessels :		
(a) Steamers :	6.30	The due is payable once in 30 days.
(b) Sailing Vessels :	6.30	The due is payable once in 60 days.

(b) For Note 4, the following note shall be substituted, namely :—

Note 4 : Vessels arriving in the rest of the Harbour to discharge or load cargo upto a maximum of 1500 tonnes shall be charged Port dues at the rate of Rs. 4.20 per ton instead of the rates specified in the Schedule.

[F. No. PR-14012/6/88-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

Note :— G. S. R. 933 (E) dated the 20th December, 1976 was amended vide G. S. R. 695 (E) dated 9-11-1977, G. S. R. 272 (E), dated the 20th May, 1980 and G. S. R. 31 (E) dated 11-6-80 and 477 (E) dated 29-6-82 and G. S. R. 629 (E), dated 28-8-84.

